

ORDER-SHEET

***The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza,
Bhopal***

Case No. L00-26, 27 & 28/2014

<i>Date of order of proceeding</i>	<i>Order of proceeding with Signature of presiding officer</i>	<i>Signature of parties or pleaders where necessary</i>
10.11.14	<p>आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री अंसारी उपस्थित ।</p> <p>फोरम के शिकायत प्रकरण क्रमांक (1) T-20 में पारित आदेश दिनांक 26.03.2014 (2) शिकायत प्रकरण क्रमांक T-21 में पारित आदेश दिनांक 26.03.2014, (3) शिकायत प्रकरण क्रमांक T-22 में पारित आदेश दिनांक 26.03.2014 के विरुद्ध उपभोक्ता की ओर से यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था ।</p> <p>(2) इसमें अभ्यावेदनों क्रमांक L00-13, 14 & 15/2014 में पारित आदेश दिनांक 07.06.2014 को यह निर्देश दिया गया था कि उपभोक्ता ने फोरम के अन्तिम आदेश के पूर्व अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है, अतः ऐसे अभ्यावेदनों के संबंध में सुनवाई का औचित्य नहीं है । उपभोक्ता ने पुनः उसी आशय का अभ्यावेदन किया है । ऐसे अभ्यावेदन के संबंध में आदेश दिनांक 07.06.2014 आज भी प्रभावशील है, अतः उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन निरस्त किया जाता है । उपभोक्ता तत्संबंध में चाहे तो आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण उचित फोरम के समक्ष प्रस्तुत करें ।</p> <p style="text-align: right;">विद्युत लोकपाल</p>	

